

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/12/2022 को संपन्न 440वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 6. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-


एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स सुनील स्टील (ए यूनिट ऑफ सुनील रि-रोलर्स एण्ड स्टील प्रा. लि.), प्लॉट नं. 560, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2165)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 402837/2022, दिनांक 15/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।



प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लॉट नं. 560, कुल क्षेत्रफल – 0.3186 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत एम.एस.इंगॉट्स (इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 55,000 टन प्रतिवर्ष तथा रि-रोल्ड स्टील क्षमता – 14,000 टन प्रतिवर्ष (रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल) को डिस्मेंटल कर 51,500 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल) हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनियोग 8.33 करोड़ रुपये होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स एसआरएस स्टील एण्ड पॉवर, तिल्दा औद्योगिक क्षेत्र, पटवारी हल्का नं. 13, खसरा क्रमांक 6, ग्राम-कोनारी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2168)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 404417/2022, दिनांक 28/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तिल्दा औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम-कोनारी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित पटवारी हल्का नं. 13, खसरा क्रमांक 6, कुल क्षेत्रफल – 2.428 हेक्टेयर (6 एकड़) में प्रस्तावित रि-रोल्ड प्रोडक्ट, स्ट्रिप एण्ड पाईप थू इण्डक्शन फर्नेस (3 गुणा 8 टन प्रतिघंटा) विथ सीसीएम (हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल) क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग 7.84 करोड़ रुपये होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक साहनी, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी ग्राम-कोनारी 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बैकुण्ठ 3.7 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 34 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग से दूरी के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भू-स्वामित्व – भूमि पटवारी हल्का नं. 13, खसरा क्रमांक 6, कुल क्षेत्रफल 11.865 हेक्टेयर (29.32 एकड़) को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसीएल) द्वारा दिनांक 07/10/2022 के माध्यम से मेसर्स एसआरएस स्टील एण्ड पॉवर (पार्टनर श्री विवेक साहनी) के नाम से लीज जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 06/10/2121 तक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसीएल) से कुल क्षेत्रफल 11.865 हेक्टेयर (29.32 एकड़) भूमि प्राप्त है, जिसमें से प्रस्तावित उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता हेतु कुल क्षेत्रफल – 2.428 हेक्टेयर (6 एकड़) का ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area in Sq.M	Area (%)
1.	Induction furnace Area	2,670.80	10.99
2.	Rolling Mill Area	2,800.00	11.53
3.	Pipe Mill Area	2,800.00	11.53
4.	Finished Good Area	1,215.00	5.03
5.	Raw material Yard	1,105.00	5.03
6.	Parking Area	971.40	4.00
7.	Road Area	1,165.48	4.79
8.	Greenbelt Area	9,715.00	40.01
9.	Area for future Expansion	1,838.32	7.57
	Total	24,281	100

5. रॉ-मटेरियल :-

S.No.	Raw Material	Total (TPA)	Source
1.	Sponge Iron	48,500 TPA	Open market through road
2.	Scrap	15,000 TPA	Open market through road
3.	Alloys	660 TPA	Open market through road

6. मटेरियल बैलेंस:-

For Induction Furnace	
Input	
Sponge Iron	48,500 TPA
Scrap	15,000 TPA
Alloys	660 TPA
Output	
Billets	59,500 TPA

Slag	2,450 TPA
Burning losses	2,210 TPA
For Rolling Mill	
Input	
Billets	59,500 TPA
Output	
Re-rolled product	59,500 TPA

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफई मेम्ब्रेन बेग फिल्टर एवं चिमनी की ऊँचाई 35 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। परिसर के भीतर 1 गुणा 250 के.वी.ए क्षमता का डी.जी. सेट एकोस्टिक इंकलोजर लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें चिमनी की ऊँचाई 12 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।
8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No	Iteam	Qty (TPA)	Disposal
1.	Slag	2,250	Sold to Slag processing unit.
2.	Mill Scale	300	Re-used in the process
3.	End cutting	500	Re-used in the process
4.	Used Oil	180	Sold to Authorized vendors
5.	Kitchen waste	13kg/day	Bio Composting

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – प्रस्तावित परियोजना हेतु 32 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग वॉटर हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति इण्डस्ट्रियल स्टेट वॉटर सप्लाय से किया जाना प्रस्तावित है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जायेगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। डिसईन्फेक्शन हेतु हाईपोक्लोराईड का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को डस्ट सप्रेसन एवं वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
- भू-जल उपयोग प्रबंधन – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की



अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल वार्षिक रनऑफ 14,559.03 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 8 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.75 मीटर, चौड़ाई 2.75 मीटर एवं गहराई 2.75 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
- 10. विद्युत आपूर्ति स्रोत – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट एकोस्टिक इन्क्लोजर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- 11. प्रदूषण भार संबंधी जानकारी – प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में प्रदूषण के उत्सर्जन की मात्रा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 10,886.4 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।
- 12. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में कुल 2,430 नग पौधों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,70,100 रुपये, खाद के लिए राशि 18,225 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,61,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,49,325 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 5,18,730 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- 13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। समिति का मत है कि प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पुनः गणना कर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शासकीय स्कूल में सी.ई.आर. के तहत अलमिरा एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों को भी सी.ई.आर. मद में शामिल किया जाए।
- 14. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित परियोजना के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं हैं इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- 15. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने के बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग से दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम-कोनारी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर में तिल्दा औद्योगिक क्षेत्र कब अधिसूचित किया गया है? अधिसूचना की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्ण ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित उत्पाद/उत्पादन क्षमता कैसे प्राप्त किया जाना इस संबंध में प्रोसेस फ्लोचार्ट सहित गणना सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के प्रस्ताव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पुनः गणना कर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शासकीय स्कूल में सी.ई.आर. के तहत अलमिरा एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों को भी सी.ई.आर. मद में शामिल करते हुए संशोधित सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1925)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 71891/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 402589/2022, दिनांक 29/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित प्लॉट नं. - 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल - 2.1392 हेक्टेयर में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता-1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के परियोजना का कुल विनियोग रुपये 17.5 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाइजर्स हेतु स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवम, डायरेक्टर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता-1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित प्लॉट नं. - 212, 213 एवं 214, त्रुटिवश क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर हो गया था, तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 के माध्यम से टीओआर जारी किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वास्तव में बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित प्लॉट नं. - 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल - 2.1392 हेक्टेयर है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उक्त त्रुटि में सुधार के लिए टीओआर में संशोधन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना प्रस्तावित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा टीओआर में संशोधन जारी होने उपरांत प्रस्तावित आवेदन को भविष्य में आयोजित बैठक में समय प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये टीओआर में संशोधन जारी होने उपरांत संशोधित टी.ओ.आर की प्रति एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत बैठक में समय प्रदान किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री एच. एस. अरोरा), ग्राम-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2080)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78268/ 2022, दिनांक 13/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-1997, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-16,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स महावीर उद्योग (प्रो.- श्री प्रकाश आडवानी, बहनाकाड़ी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-बहनाकाड़ी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2049)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77368/ 2022, दिनांक 28/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 01/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बहनाकाड़ी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 29 एवं 30, कुल क्षेत्रफल-3.468 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रकाश आडवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 29 एवं 30, कुल क्षेत्रफल-3.468 हेक्टेयर, क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध है। यह स्वीकृति दिनांक 13/05/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/05/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख. लि./तीन-6/2022/1763 रायपुर, दिनांक 30/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	20,653
2018	11,500
2019	28,500
2020	20,000
2021	10,000

समिति द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उल्लंघन की श्रेणी में आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। समिति का मत है कि विगत वर्षों (वित्तीय वर्ष अनुसार) किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि यदि वित्तीय वर्ष अनुसार भी जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन पाया जाता है, तो भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and

- c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.
- उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत बहनाकाड़ी का दिनांक 30/07/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 1823/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.04/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1608/ख.लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 13/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 182.452 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1608/ख.लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 13/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, पुल, नदी, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 29 एवं 30 श्री प्रकाश कुमार, श्री नरेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. लीज का विवरण – लीज मेसर्स महावीर उद्योग, प्रो.-श्री प्रकाश आडवानी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/03/2013 से 27/03/2023 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/03/2023 से 27/03/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बहनाकाड़ी 1.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन मंदिरहसौद 6 कि.मी. तथा स्वामी विवेकानंद



विमानपत्तन, माना, रायपुर 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. दूर है। महानदी 25 कि.मी. दूर है।

10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,79,975 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,00,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,544 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में 2 क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 4,800 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल की आपूर्ति का माध्यम एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,794 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 9,544 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग 18 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। समिति द्वारा पाया गया कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख मॉडिफाईड क्वारी प्लान में नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order

to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1608/ख. लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 13/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 182.452 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बहनाकाड़ी) का रकबा 3.468 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम बहनाकाड़ी) को मिलाकर कुल रकबा 185.92 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ix. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit revised mining plan and incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.



- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.
- xxi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- xxii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- xxiii. Project proponent shall submit the audited Balance sheet of financial year 2018-19 to 2020-21 with the details of annual turn over of year 2018-19, 2019-20 & 2020-21 for calculation of penalty.
- xxiv. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.
- xxv. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.
- xxvi. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- xxvii. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स निसदा फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री श्याम सुंदर यादव), ग्राम-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2167)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 403443/ 2022, दिनांक 17/10/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-1345, कुल क्षेत्रफल-1.011 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15,300 टन (6,120 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम सुंदर यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1345, कुल क्षेत्रफल-2.5 एकड़, क्षमता-15,300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/11/2022 की अवधि तक वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 03/12/2022 को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख. लि./तीन-6/2022/1669 रायपुर, दिनांक 03/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	306
2018	423
2019	569
2020	170
2021	368

समिति का मत है कि वर्ष 2022 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 03/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 5386/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 12/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 281-1/ख.लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 02/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.332 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 281-1/ख.लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में महानदी स्थित है एवं अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र की जानकारी निरंक है।
- भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री श्याम सुन्दर सिंह यादव के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/08/2009 से 12/08/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/08/2019 से 12/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./2343 रायपुर दिनांक 23/08/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि आरक्षित वन/संरक्षित वन के अंतर्गत नहीं आने का लेख है।



9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-निसदा 1.0 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-निसदा 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी. दूर है। निसदा डेम 1.1 कि.मी. एवं महानदी 100 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – माईनिंग प्लान अनुसार क्षेत्रफल 1493 वर्गमीटर क्षेत्र में पूर्व से ही 12 मीटर गहराई तक उत्खनन किये जाने के कारण रिजर्व की गणना में शामिल नहीं किया गया है। जियोलॉजिकल रिजर्व 73,008 घनमीटर (1,82,520 टन), माईनेबल रिजर्व 30,606 घनमीटर (76,515 टन) एवं रिकवरेबल रिजर्व 22,954 घनमीटर (57,386 टन) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,226 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (ऊपरी मिट्टी 3 मीटर एवं फ्लेग स्टोन 12 मीटर) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,885 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,300
द्वितीय	15,300
तृतीय	15,300
चतुर्थ	15,300
पंचम	15,300

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,226 वर्गमीटर है, जिसमें से 1599 वर्गमीटर क्षेत्र 9 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में तत्समय सूचना दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के झापन क्रमांक 281-1/ख. लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 02/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.332 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) का रकबा 1.011 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- Project proponent shall submit compliance report of previous Environment Clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from the mining department.
 - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.
 - Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
 - EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of



CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स भण्डारपारा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.-श्रीमती रजिया सुल्तान), ग्राम-भण्डारपारा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2053)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 274914/ 2022, दिनांक 28/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भण्डारपारा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 487/3 एवं 492/1, कुल क्षेत्रफल-3.17 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-24,746.1 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के

कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, करमंदा लाईम स्टोन (लो-ग्रेड) माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.-श्री दुखीराम राठौर), ग्राम-करमंदा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2154)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 83067/ 2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-करमंदा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1032/2, 1035, 1034/1, 1036, 1032/3, 1033/2, 1034/2 एवं 1038/2, कुल क्षेत्रफल-1.979 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,10,010 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र कुमार राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करमंदा का दिनांक 03/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3008/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2022-23 कोरबा, दिनांक 16/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा, के ज्ञापन क्र. 2541/खनि./न.क्र./2022-23 जांजगीर,

दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 12.304 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा, के ज्ञापन क्र. 2540/खनि./न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 20/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, भवन, स्कूल, एनीकट, बांध, वाटर सप्लाई परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 1032/2, 1032/3, 1034/1, 1035 एवं 1034/2 श्री नरेन्द्र कुमार के नाम पर है। समिति का मत है कि भूमि खसरा क्रमांक 1036, 1033/2 एवं 1038/2 के संबंध में जानकारी एवं भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. श्री पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज (प्रो.-दुखीराम राठौर) के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 2276/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 16/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2992 चांपा, दिनांक 25/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. (आकाशीय दूरी 700 मीटर) की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-करमंदा 700 मीटर, स्कूल ग्राम-करमंदा 0.67 कि.मी. एवं अस्पताल 5.34 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.01 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,34,775 टन, माईनेबल रिजर्व 6,91,375 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,56,806 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,050 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 14,668 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,10,010.0
द्वितीय	1,04,040.0
तृतीय	99,120.0
चतुर्थ	97,057.5
पंचम	97,057.5

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.58 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,979 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा, के ज्ञापन क्र. 2541/खनि./न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 12.304 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-करमंदा) का रकबा 1.979 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-करमंदा) को मिलाकर कुल रकबा 14.283 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.



राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री धनराज जैन), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2172)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 404981/ 2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 116/2, कुल क्षेत्रफल-1.295 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 17/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2752/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 31/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1224/ख.लि. 02/ 2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 31 खदानें, क्षेत्रफल 38.925 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1224/ख.लि. 02/ 2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. श्री धनराज जैन के नाम पर है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र. 505/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 09/03/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि श्री रितेश कुमार जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/2021/6988 राजनांदगांव, दिनांक 28/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-डुमरडीहकला 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-डुमरडीहकला 1.3 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 400 मीटर दूर है। तालाब 1 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,71,250 टन, माईनेबल रिजर्व 4,08,720 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,88,285 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,179 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,700 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	30,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में तत्समय सूचना दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.


समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1224/ख.लि. 02/ 2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 31 खदानें, क्षेत्रफल 38.925 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) का रकबा 1.295 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 40.22 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.


- vi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- vii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- viii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(कलदियुस तिकी)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़


(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़